न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 27/2017

प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन भरतपुर।

सायल

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र श्री राधेश्याम सिंघल जाति वैश्य एफबीओ व मालिक फर्म नरेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्स बुद्ध की हाट भरतपुर निवासी नबाब गली मथुरागेट भरतपुर।
2. मुरारीलाल गुप्ता पुत्र श्री दीनानाथ गुप्ता प्रोपराईटर फर्म S.M. Milkose, B-35 New Rajdhani Krishi Upaj Mandi, Kukarkhera, Sikar Road, Jaipur निवासी 127 जिवाजीगंज मुरैना (मध्यप्रदेश)
3. D.B. DODA डाईरक्टर फर्म Umang Dairies limited, 3KM stone, Hasanpur road, Gajraula, Distt. Amroha (U.P.) निवासी H.MM Employees Co-OP, GHS ltd. Plot no. 6 Sector-10 Dwarka, DELHI-75
4. RC Jain डाईरक्टर फर्म Umang Dairies limited, 3KM stone, Hasanpur road, Gajraula, Distt. Amroha (U.P.) निवासी 36 RAJDHANI NIKUNJ 94 I.P. EXT. DELHI 92
5. RC PERIWAL डाईरक्टर फर्म Umang Dairies limited, 3KM stone, Hasanpur road, Gajraula, Distt. Amroha (U.P.) निवासी C-20 PAMPOSH ENCLAVE, C.K. PART -1 NEW DELHI
6. R.L. SAHA डाईरक्टर फर्म Umang Dairies limited, 3KM stone, Hasanpur road, Gajraula, Distt. Amroha (U.P.) निवासी FLAT NO. 312 Sector 15 A, NOIDA (U.P.)
7. फर्म Umang Dairies limited, 3KM stone, Hasanpur road, Gajraula, Distt. Amroha (U.P.) निवासी FLAT NO. 312 Sector 15 A, NOIDA (U.P.) जरिये डाईरेक्टर।

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति : श्रीमती रचना सिनसिनवार वकील गैर सायल।

निर्णय

दिनांक : 24.4.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस. एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायलान मय वकील उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 11.7.2016 को 12.15 पी0एम0 पर गैरसायल की फर्म नरेन्द्र कुमार एण्ड ब्रदर्स बुद्ध की हाट भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु खाद्य वस्तु घी (उमंग) 500 मि0ली0 पैक के 25 पैकिट एक ही बैच के एक गत्ते के कार्टून में रखे हुये पाये गये। जिसमें मिलावट/मिथ्याछाप का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–633/एक्ट/2016/640 दिनांक 25.7.2016 द्वारा उक्त खाद्य वस्तु घी (उमंग) का नमूना अमानक स्तर एवं मिथ्याछाप पकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा

मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु घी (उमंग) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–633/एक्ट/2016/640 दिनांक 25.7.2016 द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायलान द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52–53 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 30,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000083 दिनांक 24.4.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official